यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार: 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्स: (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/67/2017 **दिनांक :** 10.08.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन

केन्द्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन 8 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एआईबीईए के सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्यों तथा नामित युवा साथियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में लिये गये निर्णयों के विषय में एआईबीईए ने अपने परिपत्र संख्या 28/20/2017/20 दिनांक 10.08.2017 के माध्यम से अवगत कराया जिसे हमारे परिपत्र संख्या 2016–19/66/2017 दिनांक 10.08.2017 द्वारा पुर्नप्रसारित किया गया है। हम इस सम्मेलन में अंगीकृत किये गये घोषणा पत्र को आप सभी को सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन

8 अगस्त 2017, तालकटोरा इनडोर स्टेडियम, नई दिल्ली

अंगीकृत घोषणा पत्र

आज 8 अगस्त, 2017 को मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में हुआ, सम्मेलन का आह्वान संयुक्त रूप से औद्योगिक और सर्विस सेक्टर दोनों की दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने स्वतंत्र राष्ट्रीय मजदूर फेडरेशनों के साथ किया, सम्मेलन नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही कॉर्पोरेट परस्त, राष्ट्रीय विरोधी और जनविरोधी नीतियों के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत पर और इन राष्ट्रीय–विरोधी और जन–विरोधी नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हो रही कामगार जनता की आजीविका पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है।

यह राष्ट्रीय सम्मेलन देश के सबसे बड़े केन्द्रीय श्रम संगठन, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी) को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों सहित, त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों और समितियों में सभी प्रतिनिधित्वों से वंचित करने के भाजपा सरकार के षड़यत्रपूर्ण और सत्तावादी हमले की सर्वसम्मति से कड़े शब्दों में निन्दा करता है। यह कुछ और नहीं बल्कि सम्पूर्ण श्रम संगठन आन्दोलन के अधिकारों पर एक गंभीर और घृणित हमला है। इसका एकजुट होकर सामना किया जायेगा और राष्ट्रीय सम्मेलन इसका संकल्प लेता है।

सम्मेलन घोर निराशा के साथ गौर करता है कि सरकार देशभर की समस्त ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्कीम वर्कर्स को मजदूर का दर्जा एवं भुगतान व सुविधायें, निजीकरण और बड़े पैमाने पर ठेकेदारी का विरोध जैसी 12 सूत्री मांग के लिए देशभर में किए गये आन्दोलनों को लगातार अक्खड़पन से अनदेखा कर रही है। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ करोड़ों मजदूरों की सक्रिय भागीदारी के साथ की गई कई राष्ट्रव्यापी संयुक्त हड़ताली कार्यक्रमों, जिनमें कि 2 सितम्बर 2015 और 2 सितम्बर

जारी पृष्ठ 2

2016 की हड़तालें प्रमुख हैं, के बावजूद केन्द्रीय सरकार देश की कामगार जनता के अधिकारों और आजीविका पर हमले बढ़ाती जा रही है। संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों ही समान रूप से पीड़ित हैं।

यहां तक कि सर्वाधिक श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार के लगभग नकारात्मक होने के साथ बेरोजगारी की हालत बदतर हो रही है। उद्योगों की बंदी और कामबंदी का परिदृश्य और आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के खत्म होने की भविष्यवाणी आग में घी डालने का काम कर रही है। लोक परिवहन, बिजली, दवाइयों आदि समेत अनिवार्य वस्तुओं के दामों में वृद्धि आम तौर से लोगों के रोजमर्रा की जिन्दगी पर दबाव के साथ–साथ दरिद्रता बढ़ा रही है। हड़बड़ाहट में जीएसटी को लागू करने ने आग को भड़काने का काम किया है। सार्वजनिक क्षेत्र और कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकारी खर्च में हुई भारी कटौती ने असामान्य रूप से मजदूरों और खास तौर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत को और खतरनाक बना दिया है।

सरकार का मजदूर विरोधी सत्तावादी चरित्र तब और ज्यादा दिख रहा है जब वह समान काम के लिए समान वेतन और लाभ, 15वीं इंडियन लेबर कांफ्रेंस तथा सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के मानदंडों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का प्रतिपादन, आंगनबाड़ी, मिड–डे–मिल और आशा आदि स्कीम वर्करों को मजदूरों का दर्जा देने के संबंध में एक सहमति से बनी उन अनुशंसाओं (जिनमें सरकार स्वयं एक पक्ष थी) को लागू करने से इंकार कर रही है। हैरानी की बात है कि मोदी सरकार यहां तक कि ''समान काम के लिए समान वेतन और लाभ'' और ईपीएस 1995 पर जो कि वास्तविक वेतन पर पेंशन में योगदान, गणना और महंगाई भत्ते जैसे असली मुद्दे पर देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने से इंकार कर रही है।

देश की सभी ट्रेड यूनियनों, चाहे वे किसी से भी संबंधित हों, के विरोध के बावजूद सरकार आक्रामक रूप से अपने कार्यक्रमों से नियोक्ता उन्मुखी और पूरी तरह मजदूर विरोधी श्रम कानून सुधारों को बढ़ा रही है और ये कामगार जनता पर दासता की हालत को थोपने के मकसद से की जा रही है। सबसे ताजातरीन हमला इम्पलाईज प्रोविडेन्ट फंड आर्गेनाईजेशन, कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फंड और इम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन और कई अन्य कल्याणकारी अधिनियमों के तहत मौजूदा वैधानिक सामाजिक सुरक्षा ढांचे को विघटित और विखंडित कर सामाजिक सुरक्षा कोड को प्रस्तुत करने की ओर बढ़ रही है। सरकार ऐसा करते हुए इन विभिन्न भविष्य निधि कोषों में मजदूरों के अंशदान से बने रू0 20 लाख करोड़ के विशाल सामाजिक सुरक्षा कोष को हड़प कर सबसे कपट और छल भरे छदमावरण 'सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा' के नाम पर शेयर बाजार में सट्टेबाजी के लिए उपलब्ध कराना चाहती है।

सभी सामरिक महत्व के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसमें रक्षा उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे, जन सड़क परिवहन, तेल शामिल हैं का विनिवेशीकरण, युक्तिपूर्ण बिक्री, आउटसोर्सिंग से प्राइवेट क्षेत्र के हित में निजीकरण कर रही है। दिन प्रतिदिन कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा सरकार नगदी से समृद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवेश वाले नगद रिजर्व को एकदम खाली कर रही है। वास्तव में रक्षा क्षेत्र के निजीकरण का असली मकसद देश द्वारा पिछले छः दशकों से ज्यादा समय में विकसित की गई निर्माण क्षमता और रिसर्च पहलों को नष्ट करता है। सबसे बुरी और सबसे संदिग्ध योजना है रक्षा के हथियार और संवेदनशील उपकरणों जो कि आर्डिनेंस फैक्ट्रियां स्वयं निर्मित कर रही हैं उनके 50 प्रतिशत उत्पादों को आउटसोर्स करना। रेलवे का पूरा निजीकरण, चरणों में हो रहा है। रेलवे द्वारा बनाए गये रेलवे ट्रैक पर प्राइवेट रेलों को चलाए जाने की अनुमति दी गई है। यही नहीं प्राइवेट रेल आपरेटरों को मुफ्त में रेल यार्ड, प्राइवेट कोचों, वेगनों और इंजनों के रखरखाव के लिए शेड और वर्कशाप की पेशकश की गई है। विभिन्न मेट्रो शहरों में 23 रेलवे स्टेशनों को निजीकरण के लिए चुना गया है। रेलवे कर्मचारी रोजगार सुरक्षा, जनतांत्रिक ट्रेड यूनियन अधिकारों और वेतन, भत्ते, सामाजिक सुरक्षा आदि में ली गई उपलब्धियों को बचाने के संदर्भ में निजीकरण के सबसे बड़े शिकार होंगे। सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी (सीईआरसी) की तरह एक रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरडीए) बनाई गई है। जैसा कि सीईआरसी ने बिजली के टैरिफ में बेतहाशा वृद्धि की है और आरडीए के तहत रेल भाड़े और माल ढुलाई के भाड़े बढ़ेंगे जो कि आम आदमी को और दुख पहुंचायेगा और प्राइवेट आपरेटरों को फायदा पहुंचायेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर वैधानिक और कार्यकारी तरीकों से हमले हो रहे हैं। सरकार का एकमात्र उद्देश्य निजीकरण है और उन्हीं निजी कॉर्पोरेट बेईमानों को अनुचित लाभ पहुंचाना है, जिन्होंने बैंकों से लिया कर्ज अदा नहीं किया और जिनके कारण बैंक क्षेत्र काफी दिक्कत में है। कुछ बैंकों में अनुबंध कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी गई है। इश्योरेंस सेक्टर भी इसी तरह के हमलों से जूझ रहा है। हमारे प्रमुख बंदरगाहों को भी निजीकरण करने के लिए वैधानिक प्रावधान अंतिम चरण में है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमुख

जारी पृष्ठ 3

और सामरिक महत्व के सेक्टरों जैसे ऊर्जा, पेट्रोलियम, टेलिकॉम, धातु, खनन, मशीन निर्माण, थल, वायु और जल परिवहन, बंदरगाह और डॉक और कई अन्य सरकार के निजीकरण के प्रचंड अभियान में हैं। सम्मेलन उल्लेख करता है कि इन क्षेत्रों के मजदूर संयुक्त रूप से अनुभागीय लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के मजदूरों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ सभी स्कीम वर्करों की ओर से संयुक्त आंदोलन शुरू किये गये हैं। यह सम्मेलन इन संघर्षों को अपना पूर्ण समर्थन देता है।

राज्य सरकारों की ओर से मार्ग लोक परिवहन के रूप को प्राइवेट पार्टियों के देने से विखंडित करने के प्रयास जारी हैं। केन्द्रीय सरकार की मंशा इसी संसद सत्र में नए 'मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2017' को लाने की जल्दी में है जो कि पूरी तरह से मार्ग परिवहन को निजीकरण करने की अनुमति देगा। यह सम्मेलन ट्रांसपोर्ट वर्करों के आंदोलनों को नोट करते हुए परिवहन क्षेत्र में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारों के जन विरोधी और मजदूर विरोधी योजनाओं की भर्त्सना करता है।

मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन विभिन्न राज्यों में संघर्षशील किसानों और साथ ही साथ किसान संगठनों के संयुक्त नेशनल फोरम के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है। कृषि क्षेत्र जो कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है जिसमें हो रही आत्महत्याओं के बावजूद ऐसी कॉर्पोरेट पक्षीय, जमींदार–पक्षीय नीतियों को बढ़ाया जा रहा जिनकी वजह से कृषि क्षेत्र में संकट खड़ा हो रहा है।

यह मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन वर्तमान सरकार के तहत सरकारी मशीनरी के संरक्षण में समाज में चलाये जा रहे साम्प्रदायिक और विभाजक षड़यत्रों के विरूद्ध अपनी तीव्र निन्दा दर्ज करता है। देश में अमन पसंद धर्मनिरपेक्ष लोग सभी जगह आतंक और असुरक्षा की कठोर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। साम्प्रदायिक ताकतें अकारण ही समाज में लड़ाई का माहौल तैयार कर रही हैं। यह माहौल आमतौर पर मजदूरों और मेहनतकश जनता की एकता को भंग कर रहा है, उस एकता को जो कि उपरोक्त वर्णित 12 सूत्रीय मांग पत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूर वर्ग को इन साम्प्रदायिक विभाजक शक्तियों के लिए अपनी मजबूत आवाज उठानी चाहिए।

वर्तमान सरकार की निजी कॉर्पोरेट से मित्रता रखने वाली नीतियों के कारण देश के सभी भागों में आमतौर से मजदूरों और मेहनतकश पर होने वाले हमलों से राष्ट्र के सामने संकट गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग ने आत्मघाती जनविरोधी नीतियों के विरूद्ध जारी हड़तालों समेत अन्य संघर्षों से ट्रेड यूनियन आंदोलन की मजबूत एकता बड़ी की है।

केन्द्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मंच और स्वतंत्र फेडरेशनों का काम है कि विभिन्न क्षेत्रों में उठ रहे संघर्षों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित संयुक्त आंदोलनों और लामबंदी से अधिक सघन करे। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों के संघर्षों को मजबूत करने और इसके चरम बिंदु के रूप में देशव्यापी हड़ताल की जाये। अतः यह मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित कार्यक्रमों को अपनाता है :

1. सम्बन्धित माँगों पर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संयुक्त संघर्षों को प्राप्त करने और तेजी लाने के लिए कार्य करना, जो पहले ही शुरू हो चुका है
2. राष्ट्र स्तरीय लामबंदी की तैयारी के लिए ब्लॉक/जिला/औद्योगिक केन्द्र/राज्य स्तरीय व्यापक अभियान, लामबंदी और सम्मेलन आयोजित करना।
3. **9, 10 और 11 नवम्बर** को राष्ट्रीय राजधानी पर विशाल **तीन दिवसीय धरना** जिसमें देशभर से लाखों कामगार भागीदारी करेंगे।
4. राष्ट्रीय सम्मेलन कामगार जनता से आह्वान करता है कि सरकार की जन–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के विरूद्ध अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल के लिए तैयार रहें।

राष्ट्रीय सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत देशभर की मजदूर जनता का आह्वान करता है कि सम्बद्धताओं से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनायें।

आईएनटीयूसी टीयूसीसी | **एआईटीयूसी एसईडब्लूए** | **एचएमएस एआईसीसीटीयू** | **सीआईटीयू यूटीयूसी** | **एआईयूटीयूसी एलपीएफ**

तथा मजदूरों और कर्मचारियों की स्वतंत्र फेडरेशनें

12 सूत्रीय माँग पत्र

1. जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के सार्वजनिकरण द्वारा मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के तत्काल उपाय किए जायें।
2. रोजगार सृजन के ठोस उपायों से बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जाये।
3. सभी मूलभूत श्रम कानूनों को किसी अपवाद या छूट के बगैर सख्ती से लागू किया जाये और श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कड़े दण्डात्मक कदम उठाये जायें।
4. सभी मजदूरों को सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा दी जाये।
5. न्यूनतम वेतन कम से कम इंडेक्सेशन के प्रावधान के साथ रू0 18000 प्रति माह हो।
6. सभी कामगार आबादी के लिए सुनिश्चित रूप से बढ़ाई गई पेंशन रू0 3000 प्रति माह से कम न हो।
7. केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) के विनिवेशीकरण और रणनीतिक बिक्री को बंद करो।
8. साल भर होने वाले कामों में अनुबंधीकरण/ठेकेदारी बंद हो और समान काम के लिए नियमित मजदूर की तरह अनुबंध मजदूर को भी समान वेतन का भुगतान लाभ मिले।
9. बोनस और प्रोविडेन्ट फण्ड के भुगतान और पात्रता पर लगी सभी सीमाबंदियों को हटाया जाये तथा उपदान की राशि बढ़ाई जाये।
10. ट्रेड यूनियनों द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र जमा किये जाने के 45 दिनों के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य रूप से हो; और आईएलओ कन्वेंशन सी 87 और सी 98 का तत्काल अनुसमर्थन हो।
11. श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों के खिलाफ।
12. रेलवे, इंश्योरेंस और डिफेन्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ।

THE MASSIVE NATIONAL TRADE UNION CONVENTION
AT TALKATORA STADIUM, NEW DELHI ON 8TH AUGUST, 2017
Call for Indefinite General Strike - Dharna before Parliament in November

ALL INDIA BANK EMPLOYEES ASSOCIATION